राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी – श्री योगेश सिंह देवल (तहसीलदार) प्रकरण संख्या : 15/2010

अन्तर्गत धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राज. अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

1. रिसर्च एज्यूकेशन एण्ड ऑडियोलोजीकल डवलपमेन्ट सोसायटी डूण्डलोद जरिये चैयरमेन गंगा आर. सिंह पी0 कुंवर रघुवेन्द्र सिंह डूण्डलोद

–: निर्णय :– दिनांक : 10.04.2018

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का डूण्डलोद ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि रिसर्च एज्यूकेशन एण्ड ऑडियोलोजीकल डवलपमेन्ट सोसायटी डूण्डलोद जरिये चैयरमेन गंगा आर. सिंह पी0 कुंवर रघुवेन्द्र सिंह डूण्डलोद द्वारा ग्राम डूण्डलोद स्थित भूमि खसरा नं0 719 रकबा 0.25 है0 किस्म बंजड़ द्वितीय मे से 1340 वर्गमीटर एवं खसरा नं0 916/718 रकबा 2.48 है. किस्म बंजड़ द्वितीय में से 649 वर्गमीटर कुल रकबा 1989 वर्गमीटर भूमि पर बिना रूपान्तरण करवाये स्कूल संचालित कर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिए जाने पर प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री अशोक कुमार जांगिड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी वकील की ओर से दिनांक 27.12.12 को जवाब पेश किया, जिसमें बताया किया कि विवादित भूमि के संपरिवर्तन की पत्रावली जिला कलेक्टर कार्यालय में जेरकार थी, इसी दौरान नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 10(187)नविवि/3/10 दिनांक 09.08.2010 की अधिसूचना द्वारा ग्राम डूण्डलोद को नगरपालिका मुकुन्दगढ़ के मास्टर प्लान में शामिल कर लिया गया जिसके कारण भूमि रूपान्तरण की अधिकारिता नगरपालिका मुकुन्दगढ़ की हो गई। जिसमें 2 वर्ष तक भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश बताये गये हैं। ऐसी स्थिति में भूमि संपरिवर्तन करवाया जाना संभव नहीं बताया गया हैं। संस्था मान्यता प्राप्त बताई गई हैं। जिसमें लगभग 800 बच्चे अध्ययनरत बताये गये हैं। दिनांक 13.04.2017 को अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम डूण्डलोद की सरहद में भूमि खसरा नं0 719 रकबा 0.1574 है0 स्थित हैं जिसकी खातेदारी प्रार्थी संस्थान के नाम से दर्जशुदा हैं। उक्त भूमि मौके पर खाली हैं। खसरा नं0 719 के संबंध में प्रार्थी संस्था ने एक दावा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नवलगढ़ के यहां पेश किया था जिसका निर्णय होकर नामान्तरण संख्या 1860 दिनांक 25.08.2015 के द्वारा खसरा नं0 719 रकबा 0.1574 है0 की खातेदारी अलग से दर्ज हैं। उक्त भूमि के मौके पर प्रार्थी संस्था ने कोई पुखता निर्माण नहीं कर रखा हैं तथा न भूमि की किसी प्रकार की किस्म परिवर्तित कर रखी हैं। कानूनन राजस्थान सरकार द्वारा जारी राजपत्र नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2016 के कॉलम सं. 4 में नियम 6 के अनुसार खातेदारी की भूमि में कोई [illegible] के रूप में उपयोग की जा रही हैं तो एक एकड़ तक किसी प्रकार का रूपान्तरण करवाया जाना आवश्यक नहीं है। यानिकी रूपान्तरण की बाध्यता से एक एकड़ तक भूमि [illegible] गई हैं। ऐसी स्थिति में संस्थान के विरूद्ध दर्ज अं. धारा 90 (ए) रा.ले.ए. 1956 की कार्यवाही चल[illegible]य नहीं है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थी द्वारा एजी ऑडिट में निकाली गई रिकवरी राशि की रसीद भी प्रस्तुत की गई हैं, जो शामिल पत्रावली हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2021.02.19 14:36:57 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार
नवलगढ़ (झुंझुनू)

Scanned by CamScanner

इस संबंध में पटवारी हल्का, डूण्डलोद से उपरोक्त दोनों खसरा नम्बरों की वर्तमान मौका स्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का डूण्डलोद द्वारा दिनांक 26.03.2018 को मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार ग्राम डूण्डलोद की जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 के खाता संख्या 439 में खसरा नं0 719 रकबा 0.25 है0 किस्म बंजड़2 खातेदार सरितादेवी वगैरह की शामलाती खातेदारी भूमि रिकॉर्ड दर्ज हैं। न्यायालय आदेश से नामान्तकरण संख्या 1807 निर्णय दिनांक 25.08.2015 के द्वारा मुताबिक निर्णय व डिग्री से विभाजन रिसर्च एज्यूकेशन एण्ड ऑडियोलोजिकल डवलपमेंट सोसायटी डूण्डलोद संरक्षण गंगा आर सिंह धर्म पत्नी कुंवर रघुवेन्द्रसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार ख0नं0 719 रकबा 0.1574 है0 भूमि हिस्से में आई। मौके पर वर्तमान में 1574 वर्गमीटर भूमि में से 1340 वर्गमीटर भूमि पर इस संस्था के चौकीदार का कक्ष, वास्केटबाल का खेल मैदान, पार्क तथा पेड़–पौधे लगे हुए हैं शेष भूमि रास्ते में काम आ रही है तथा जमाबन्दी खाता संख्या 360 में खसरा नम्बर 916/718 रकबा 2.48 है0 किस्म बंजड़2 खातेदार रामकुवारसिंह वगैरह की शामलाती खातेदारी भूमि रिकॉर्ड दर्ज हैं। उक्त खसरा नम्बरान में खातेदार रिसर्च एज्यूकेशन एण्ड आडियोलोजिकल डवलपमेंट सोसायटी डूण्डलोद संरक्षक गंगा आर सिंह धर्मपत्नी कुंवर रघुवेन्द्रसिंह हि0 0.1500 है0 के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। संस्था द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि 1500 वर्गमीटर में से 649 वर्गमीटर भू–भाग पर तारबन्दी कर रखी हैं तथा शेष भूमि मौके पर खाली पड़ी हैं।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली में शामिल राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः No. F.6(26)Rev.6/2014/33 jaipur,Dated 06-10-2016 के कॉलम सं. 4 में नियम 6 के अनुसार खातेदारी की भूमि में कोई शिक्षण संस्थान के रूप में उपयोग की जा रही हैं तो एक एकड़ तक किसी प्रकार की रूपान्तरण करवाया जाना आवश्यक नहीं हैं अर्थात गजट नोटिफिकेशन द्वारा शिक्षण संस्था के लिए एक एकड़ तक की भूमि पर भू–रूपान्तरण की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई हैं। अतः गजट नोटिफिकेशन के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं। अतः पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10-4-18..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़

तहसीलदार
नवलगढ़ (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2021.02.19 14:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner